(6) संख्या-सा-3- 1145/दस- 916/88

प्रेषक,

श्री चन्द्र मोहन वासुदेव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग- 3, लखनऊ: दिनांक: 17 अगस्त, 1993

विषय:- विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस अनुभाग के शासनादेश संख्या-सा-3- 1340/दस-88-916/88 दिनांक 19 अगस्त, 1988 जिसके द्वारा डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़, विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष, आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़, हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करना अथवा तितर-बितर करते समय, दैवी आपदाओं में सेवा करते हुए तथा अन्य आपातकाल के दौरान सेवा करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर उ0प्र0 सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली में अनुमन्य पेंशन एवं तात्कालिक एवं दीर्घकालीन राहत के रूप में अनुमन्य उपादान के अतिरिक्त वर्ग-1,2,3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिए क्रमश: रू0- 50,000, रू0-40,000 रू0-30,000 एवं रू0- 20,000 अनुग्रह धनराशि के रूप में स्वीकृत किए जाने तथा कर्तव्यपालन के दौरान जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं उन्हें अनुमन्य तात्कालिक आर्थिक सहायता को रू0- 2,500 से बढ़ाकर रू0- 5,000 किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सुविधाओं को दिये जाने के पश्चात गृह पुलिस अनु0-6 के शासनादेश संख्या- 3239/पी /8: पु0-6-1744/90 दिनांक 6 फरवरी, 1991 द्वारा विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट

-----2/

वीरता प्रदर्शित करने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि को दो-गुना अर्थात क्रमशः रु० 1,00,000/-, रु० 80,000/=, रु० 60,000/= एवं रु०-40,000/= कर दिया गया है। इस अनुग्रह धनराशि को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने के उपरान्त स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है। गृह (पुलिस) अनु०-6 के इस शासनादेश सं०- 3225पी/छ:पु-6-91-1325/91 दिनांक 17 मार्च, 1992 द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 6 फरवरी, 1991 को आंशिक संशोधन करके उसमें स्वीकृत अनुग्रह धनराशि की दरों के स्थान पर केवल आतंकवाद के परिपेक्ष्य में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को किसी श्रेणीगत भेदभाव के बिना रु०-1,00,000 (एक लाख रु० मात्र) की अनुग्रह धनराशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस शासनादेश में यह भी कहा गया है कि अन्य वर्गों के लिए पूर्व स्वीकृत दरें यथावत् रहेंगी और उक्त शासनादेश के अन्य सभी प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

2- राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को अनुमन्य उक्त सुविधाओं के पश्चात पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए उपरोक्त दोनों शासनादेशों द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए स्वीकृत की गयी सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकरण पर गम्भीरता से विचार किया गया। वर्तमान परिस्थितियों में आतंकवादी गतिविधियों के परिपेक्ष्य में अन्य विभागों के कर्मचारियों को साथ ही साथ इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः सारी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के दौरान राज्य सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के उद्देश्य से एवं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए कर्मियों के हितों को दृष्टि में रखते हुए केवल आतंकवाद के परिपेक्ष्य में शहीद हुए कर्मियों के आश्रितों को किसी श्रेणीगत भेदभाव के बिना उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1988 के पैरा- 2(2) में अनुमन्य श्रेणीवार अनुग्रह धनरा[शि] के स्थान पर रु०- 1,00,000(एक लाख रु० मात्र) की अनुग्रह धनराशि दिए

------3/

जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। अन्य मामलों में शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1988 द्वारा स्वीकृत सुविधायें यथावत् लागू रहेंगी और उक्त शासनादेश के सभी प्राविधान इस आदेश के विषय में भी प्रभावी होंगे।

3- आतंकवाद के मामलों में सभी विभागों के कार्मियों को एतद्द्वारा स्वीकृत यह अनुग्रह धनराशि निम्नलिखित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रत्येक मामले में अन्तिम निर्णय ले लिए जाने के उपरान्त ही स्वीकृत की जाएगी :-

§1§	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
§2§	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
§3§	प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
§4§	सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य

4- उपरोक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव शासन के कार्मिक विभाग को पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत किए जायेंगे और कार्मिक विभाग द्वारा इसप्रकार के मामलों को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा समिति के निर्णय से संबंधित अनुभागों को सूचित किया जाएगा। उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में यू0पी0सिविल सर्विसेज §असाधारण§ पेंशन नियमावली के नियम-13 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा तथा उक्त निर्णय के अनुसार देय धनराशि का भुगतान विभागाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने आय-व्ययक के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से किया जाएगा।

5- यह सुविधा इस आदेश के जारी होने की तिथि को या इसके पश्चात घटित घटनाओं के संबंध में ही देय होगी।

भवदीय,

§ अरुण मोहन वाजपेयी §
प्रमुख सचिव।

संख्या-सा-3-1145§1§/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख महालेखाकार, उ0प्र0,
2- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।

------4/

3- सचिव, महामहिम राज्यपाल।

4- विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय।

5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

विशेष सचिव।